बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0
खाद्य भवन,दारोगा राय पथ,आर0ब्लॉक रोड नं0-2,पटना-800001

पत्रांकः-02:15:17(अधि0)/2017- 2105 दिनांक- 28/2/18

प्रेषक,

महाप्रबन्धक(अधिप्राप्ति),
राज्य खाद्य निगम,
पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत अधिसूचित गोदाम में ही सी0एम0आर0 का संग्रहण/ भंडारण करने के संबंध में।

प्रसंगः- निगम मुख्यालय का पत्रांक-12212 दिनांक-01.12.2017, 12587 दिनांक-12.12.2017 एवं 578 दिनांक-17.1.2018 में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधिप्राप्ति वर्ष 2017-18 अन्तर्गत निगम मुख्यालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा सी0एम0आर0 भंडारण के संदर्भ में विस्तृत दिशा निदेश दिया जा चुका है। पुनः इस परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित तथ्य उद्धत किया जा रहा है।

मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक-5765 दिनांक-14.11.2017 से निर्गत मार्गनिदेश के कंडिका-''III'' में ''भंडारण की व्यवस्था'' शीर्षान्तर्गत उल्लेखित दिशा निदेश के तहत् निगम मुख्यालय के पत्रांक-12212 दिनांक-01.12.2017 से निर्गत मार्गनिदेश के कंडिका-''I'' में स्पष्टतः उल्लेखित है कि **''सभी जिला प्रबंधक, जहाँ भंडारण क्षमता की कमी है, आवश्यकतानुसार बड़े गोदाम चिन्हित कर जिला टास्क फोर्स के स्वीकृत्योपरान्त मुख्यालय को प्रस्ताव उपलब्ध करायेगें जिसे सी0एम0आर0 संग्रहण एवं भंडारण हेतु अधिसूचित किया जा सके''** के आलोक में यदि गोदाम की आवश्यकता महसूस हो तो जिला टास्क फोर्स से अनुमोदित प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय ताकि इसे अधिसूचित करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके। हर हाल में मुख्यालय द्वारा अधिसूचित गोदाम में ही पैक्स/व्यापारमंडल से प्राप्त हो रहे सी0एम0आर0 का संग्रहण एवं भंडारण करना सुनिश्चित किया जायगा।

अनुरोध है कि उक्त दिशानिदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांकः- 2105 दिनांक- 28/2/18

प्रतिलिपिः-परियोजना प्रबंधक, 4G आईडेन्टीटी सॉल्यूशन, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिपिः-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिपिः-प्रबन्ध निदेशक कोषांग,मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।